उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 51/2020/ 1820/30-3-20-12जीई/2011
लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015वे०आ०-2-190-दस-62(एम)/2008टीसी-1, दिनांक 03.03.2015, शासनादेश संख्या-50/2015वे०आ०-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26.08.2015, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-373/दस-62(एम)/2008टीसी-1, दिनांक 04.07.2019, शासनादेश संख्या-4/2019/13(2)2017/क-1-2019, दिनांक 27.09.2019 एवं शासनादेश संख्या-6/2019/वे०आ०-2-729/दस-2019(एम)/2008टीसी, दिनांक 04.11.2019 की व्यवस्थान्तर्गत दिनांक 28.01.2020 को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित परिवहन आयुक्त संगठन के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्तम्भ-4 में अंकित ग्रेड वेतन का लाभ स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम सर्वश्री :	देय ए०सी०पी०	अनुमन्य ग्रेड वेतन	ए०सी०पी० देयता की तिथि
1	2	3	4	6
1.	विदिशा सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/-	दिनांक 11.02.2015 से 18.08.2016 तक
2.	प्रमोद कुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 26.06.2016 से 28.06.2018 तक
3.	अरूण कुमार , संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 28.05.2017 के स्थान पर दिनांक 28.05.2018 से
4.	संतदेव सिंह , संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 19.04.2017 से
5.	राजेश कुमार ,(गंगवार) संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 23.04.2017 से
6.	अनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 21.04.2017 से
7.	संजीव कुमार गुप्ता, संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 27.04.2017 से
8.	ऋतु सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	द्वितीय	7600/	दिनांक 26.11.2018 से

ह०/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-51 /2020/ 1820(1)/30-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) संबंधित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग–3
संख्या– /2020/ /30–3–20–12जीई/2011
लखनऊ : दिनांक जुलाई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–773/दस–62 (एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 सपठित शासनादेश संख्या–08/2015वे0आ0–2–190 /दस–62(एम)/2008टीसी–1, दिनांक 03.03.2015 एवं शासनादेश संख्या–50/2015 वे0आ0–2–871/दस–62(एम)/2008, दिनांक 26.08.2015 की व्यवस्थान्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित परिवहन आयुक्त संगठन के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में उल्लिखित वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्तम्भ–5 में अंकित ग्रेड वेतन का लाभ स्तम्भ–6 में अंकित तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम सर्वश्री :	देय ए0सी0पी0	अनुमन्य ग्रेड वेतन	ए0सी0पी0 देयता की तिथि
1	2	4	5	6
1.	विदिशा सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), लखनऊ	द्वितीय	7600/–	11.02.2015 से 18.08.2016 तक
2.	प्रमोद कुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, बांदा	द्वितीय	7600/–	26.06.2016 से 28.06.2018 तक
3.	अरूण कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), रामपुर	द्वितीय	7600/–	28.05.2017 के स्थान पर दिनांक 28.05.2018 से
4.	संतदेव सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल, अयोध्या	द्वितीय	7600/–	दिनांक 19.04.2017 से
5.	राजेश कुमार, सहायक परिवहन अधिकारी, मुख्यालय	द्वितीय	7600/–	दिनांक 23.04.2017 से
6.	अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल, मुख्यालय	द्वितीय	7600/–	दिनांक 21.04.2017 से
7.	संजीव कुमार गुप्ता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), लखनऊ	द्वितीय	7600/–	दिनांक 27.04.2017 से
8.	ऋतु सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय	द्वितीय	7600/–	दिनांक 26.11.2018 से

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /2020/ /30–3–2020, तद्दिनांक।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।